भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2716

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना की स्थिति

†2716. श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) के शुरू होने के बाद से इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य में नामांकित कामगारों की संख्या कितनी है और वर्तमान में पेंशन लाभ प्राप्त करने में योगदान देने वाले और पात्र लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम नामांकन, अनियमित अंशदान और अनौपचारिक कामगारों के बीच जागरुकता की कमी के कारण इस योजना की पहुंच और प्रभावकारिता पर प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में अंशदाता के लिए जारी किए गए कुल केन्द्रीय अंशदान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और अंशदान से बाहर निकलने वाले अथवा चूककर्ता कामगारों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा जागरुकता सुदृढ़ करने, नामांकन और अंशदान प्रक्रियाओं को सरल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि महाराष्ट्र में पात्र असंगठित कामगार इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित पेंशन लाभ प्राप्त करें, उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में पीएम-एसवाईएम योजना का शुभारंभ किया गया था। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात असंगठित कामगारों को ₹3,000/- की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के वे

कामगार, जिनकी मासिक आय ₹15,000/- या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, स्व-घोषणा के आधार पर इस योजना में सम्मिलित होने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि ₹55/- से ₹200/- के बीच होती है। योजना के तहत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है और समान राशि के अंशदान **का** भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

04.03.2026 तक, महाराष्ट्र राज्य में योजना के तहत नामांकित कामगारों की कुल संख्या 6,27,646 है। महाराष्ट्र में सक्रिय लाभार्थियों की संख्या 1,95,216 है।

इस योजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, नामांकन एवं अंशदान प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

(ii) पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(iii) नई सुविधाओं का शुभारंभ: स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण।

(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाइवल की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का द्वि-मार्गी एकीकरण।

(vi) जागरूकता सृजन हेतु एसएमएस अभियान चलाना।

(vii) पीम-एसवाईम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखना।

(viii) पीम-एसवाईम योजना के तहत असंगठित कामगारों के नामांकन हेतु एक राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान का आयोजन, जो इस प्रकार है:

प्रथम चरण: शहरी क्षेत्र: 15 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक पहले ही पूरा हो चुका है।

द्वितीय चरण: ग्रामीण क्षेत्र: 16 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक।

*****